



॥ श्री ॥

21/7/03

निगरानी क्रमांक /03

पेशी दिनांक 21/7/2003

1156-
20/7/03
21/7/2003

महानिय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

कमल पिता ईदाजी नायता

निवासी ग्राम खजुराना तहसील

व जिला इन्दौर तर्फ अध्यक्ष एवम् आममुख्तयार

श्री बालमुकुन्द पिता श्री भगवानदासजी सिद्ध

निवासी 24/2 नयापुरा इन्दौर

श्रीदेवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी

संस्था मर्यादित झाबुआ टॉवर ,

91, इमली बाजार इन्दौर

--- प्रार्थी

जाफेदारा
प्राप्त

विस्त

11/8/03

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश महोदय,
इन्दौर द्वारा जिलाधीश कार्यालय इन्दौर,

2. तहसीलदार महोदय इन्दौर
द्वारा कलेक्टर कार्यालय इन्दौर

3. सलीम पितासरदार नायता

शेराज पिता सरदार

चौद पिता दरवेश

सभी निवासी ग्राम खजुराना तहसील व जिला
इन्दौर

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अर्ज अंककरी-खास 50 प्र-पु-श्री रा. ठ. इ. तहत

तदर प्रकरण में प्रार्थीगण श्रीमानु कलेक्टर महोदय, इन्दौर
द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/9/99 जो कि उन्होंने प्रकरण
क्रमांक 219/स्व0 निगरानी/98-99 में पारित किया है और स्वमेव
निगरानी स्वीकृत की जिससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी अर्ज
नीचे लिख तथ्य एवम् कारणों पर प्रस्तुत है :-

२०१६/१५

आवेदक अभिभाषक सूचना उपरोक्त
अनुपस्थित। तीन बार पुकार लगवाई गयी।
कोर्ट उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभाषक की
अनुपस्थिति में प्रमाण अदम्य रैखी में रजिस्ट्र
दिया जाता है।


अदम्य

[क. प. उ.]